

पर है

०१/५/१७

अपीलेंट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित
अपीलेंट एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय
की ओर से बार-बार आवाजे लगाने
के बावजूद और उपस्थित नहीं आया।
अतः पत्रावली अदम टाचिरी अदम पैरवी
में धारित की जाती है। पत्रावली केस ल
शुमार लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल
दफ्तर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

०१/५

०१/५